मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंत्रालय

2213
03/11/10

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

क्रमांक एफ 1–4/2010/बयालीस(1): राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 15 मार्च, 2010 में प्रकाशित "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं) विनियम, 2010" अधिसूचना दिनांक 5 मार्च, 2010 (संलग्न परिशिष्ट–एक) के अनुसार शासकीय, स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक, महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुशंसित वेतनमान, कॅरियर संवर्धन स्कीम का लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से तथा पीएच.डी./एम.टेक., अन्य उच्च अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन का लाभ दिनांक 01 सितंबर, 2008 से निम्नानुसार स्वीकृत करता है:–

(1) शासकीय, स्वशासी एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक, महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के शिक्षकों/ग्रंथपाल/पीटीआई को दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित एआईसीटीई वेतनमान :–

क्र.	पदनाम	विद्यमान वेतनमान (₹)	पुनरीक्षित वेतनमान		अभ्युक्ति
			पे–बैण्ड (₹)	एजीपी (₹)	
1.	प्राचार्य	16400–450–20000	37400– 67000	10000+ 2000 प्रतिमाह विशेष भत्ता	
2.	विभागाध्यक्ष	12000–420–18300	37400– 67000	9000	–
		12000–420–18300	37400– 67000	10000	पी–एच.डी. उपाधि तथा 3 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत
3.	व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	12000–420–18300	15600– 39100	8000	प्रवर श्रेणी वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को 03 वर्ष से कम सेवा होने पर
		12000–420–18300	37400– 67000	9000	प्रवर श्रेणी वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को या उसके उपरांत जब भी 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर

E:\Establishment\AICTE payscales_Poly\Order.doc

क्रमशः. 2

स. क्र.	पदनाम	विद्यमान वेतनमान (₹)	पुनरीक्षित वेतनमान		अभ्युक्ति
			पे–बैण्ड (₹)	एजीपी (₹)	
4.	व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक (वरिष्ठ वेतनमान)	10000–325–15200	15600– 39100	7000	5 वर्ष से कम सेवा अवधि
		10000–325–15200	15600– 39100	8000	5 वर्ष से अधिक सेवा अवधि रू. 7000 एजीपी के साथ
5.	व्याख्याता/कर्मशाला अधीक्षक	8000–275–13500	15600– 39100	5400	बिना स्नातकोत्तर उपाधि के
		8000–275–13500	15600– 39100	6000	स्नातकोत्तर उपाधि सहित
		8000–275–13500	15600– 39100	6000	बिना स्नातकोत्तर उपाधि के तथा 6 वर्ष की सेवा उपरांत
		8000–275–13500	15600– 39100	7000	बिना स्नातकोत्तर उपाधि के तथा 9 वर्ष की सेवा उपरांत
		8000–275–13500	15600– 39100	7000	स्नातकोत्तर उपाधि सहित तथा 5 वर्ष की सेवा उपरांत
		8000–275–13500	15600– 39100	7000	पीएच.डी. उपाधि तथा 4 वर्ष की सेवा उपरांत
6.	ग्रंथपाल/ पीटीआई (प्रवर श्रेणी वेतनमान)	12000–420–18300	15600– 39100	8000	प्रवर श्रेणी वेतनमान में दिनांक 01.01. 2006 को 03 वर्ष से कम सेवा होने पर
		12000–420–18300	37400– 67000	9000	प्रवर श्रेणी वेतनमान में दिनांक 01.01. 2006 को या उसके उपरांत जब भी 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर
7.	ग्रंथपाल/पीटीआई (वरिष्ठ वेतनमान)	10000–325–15200	15600–39100	7000	उन्नयन द्वारा
8.	ग्रंथपाल/पीटीआई	8000–275–13500	15600– 39100	6000	स्नातकोत्तर योग्यता के साथ

(2) दिनांक 01.01.2006 से देय शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतनमान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीमः

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना नीचे दर्शाए अनुसार होगीः–

(क) पोलीटेकनिकों में व्याख्याताः

(i) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में बी.टेक. अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पोलीटेकनिक

संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 5400 रू. के एजीपी के साथ 15600–39100 रूपये के वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा वे उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में निष्णात की अर्हता पूरी कर लेने पर 6000 रू. के एजीपी में चले जाएंगे।

(ii) उपयुक्त शाखा/विषय–क्षेत्र में बी.ई./एम.टेक. अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहे हों अथवा पोलीटेकनिक संस्थाओं में पहले ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, 6000 रू. के एजीपी के साथ 15600–39100 रूपये के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(iii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रू. के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iv) प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिभाषित है, निष्णात डिग्री धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रू. के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 6000 रू. के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vi) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रू. के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(vii) सभी व्याख्याताओं के लिए 5400 रू. के एजीपी से 6000 रू. के एजीपी में तथा 6000 रू. के एजीपी से 7000 रू. के एजीपी में उर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(viii) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों का वेतन (अर्थात् 10000–15200 रू. का पूर्व–संशोधित मान) उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600–39100 रू. के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा जिसका एजीपी 7000 रू. होगा।

(ix) 7000 रू. के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन 8000 रू. के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।

(x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000–18300 रू. के पूर्व–संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रू. के एजीपी के साथ 37400–67000 रू. के वेतन बैंड में रखे जाएंगे तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेंगे।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000–18300 रू. के वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रू. के एजीपी के साथ 15600–39100 रू. के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते तथा उसके पश्चात् उन्हें 37400–67000 रू. के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाएगा।

(xii) 8000 रू. के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन 9000 रू. के एजीपी के साथ 37400–67000 रू. के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होंगे।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद 9000 रू. एजीपी के साथ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्ती हुए विभागाध्यक्ष को 37400–67000 रू. के वेतन बैंड में जिसमें 9000 रू. का एजीपी होगा, नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(xiv) 9000 रू. के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले विभागाध्यक्ष अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तों के अध्यधीन पात्र होंगे तथा उन्हें 10000 रू. के एजीपी के साथ 37400–67000 रू. में रखा जाएगा।

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रारंभिक सीधी–भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई है।

(xvi) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी अथवा अन्य द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी किए जाएंगे।

(ख) कार्यशाला अधीक्षक:

कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष माना जाएगा तथा उस पर ऊर्ध्ववर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के ही समान ही विचार किया जाएगा।

(ग) पोलीटेकनिकों में प्राचार्यों का वेतन मान:

पोलीटेकनिकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी तथा प्राचार्य का पद 10,000 रू. के एजीपी के साथ 37400–67000 रू. के वेतन बैंड में होगा जिसमें 2000 रू. प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रू. के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा वे 2000 रू. प्रतिमाह के विशेष भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(घ) ग्रंथपाल आदि के लिए संशोधित वेतनमान तथा केरियर संवर्द्धन स्कीम :

उपर्युक्त विनियम, 2010 में **"पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतनमान तथा केरियर संवर्द्धन स्कीम"** नामक शीर्षक में उल्लेखित कंडिकाओं को यथावत लागू किया जाता है।

(ङ) पीटीआई के लिए संशोधित वेतनमान तथा केरियर संवर्द्धन स्कीम :

उपर्युक्त विनियम, 2010 में **"शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतनमान तथा केरियर संवर्द्धन स्कीम"** नामक शीर्षक में उल्लेखित कंडिकाओं को यथावत लागू किया जाता है।

(च) पीएच.डी./एम.टेक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन :

उपर्युक्त विनियम, 2010 में **"पीएच.डी./एम.टेक. तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन"** नामक शीर्षक में उल्लेखित कंडिकाओं को यथावत लागू किया जाता है।

(3) उपर्युक्त विनियम की कंडिका–सेवानिवृत्ति की आयु के बिन्दु–(i) के अनुसार क्लास रूम टीचिंग में संलग्न शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 (बासठ) वर्ष से बढ़ाकर 65 (पैंसठ) वर्ष की जाती है। क्लास रूम टीचिंग के अतिरिक्त अन्य संवर्ग यथा ग्रंथपाल एवं पीटीआई की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष यथावत् रहेगी। 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति का लाभ केवल उन शिक्षकों को प्राप्त होगा जो आदेश जारी होने की तिथि पर सेवा में होंगे।

(4) उपर्युक्त विनियम की कंडिका–सेवानिवृत्ति की आयु के बिन्दु–(ii) के अनुसार दिनांक 01.01.2006 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा नियुक्ति 70 (सत्तर) वर्ष की आयु तक पुनःनियोजन संबंधी निर्देशों के अध्यधीन दी जाए।

(5) उपर्युक्त विनियम में ग्रंथपाल के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पीटीआई के लिए शारीरिक शिक्षा निदेशक का उपयोग किया गया है परन्तु राज्य शासन द्वारा पूर्व प्रचलित नामों को ही यथावत् रखा गया है।

(6) भत्तों का भुगतान राज्य शासन के कर्मचारियों को देय भत्तों के समान यथा मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(7) वेतन निर्धारण, वेतन वृद्धि, पीएच.डी./एम.टेक. अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन, केरियर संवर्द्धन स्कीम, संकाय मानदंड "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं] विनियम, 2010" (संलग्न परिशिष्ट–एक) एवं संलग्न फिटमेंट टेबल (परिशिष्ट–दो) के अनुरूप किया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 1 जुलाई से देय होगी। वेतन निर्धारण के पूर्व निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र, विकल्प पत्र, प्रतिभूति आदि (परिशिष्ट–तीन से सात) की पूर्ति करना आवश्यक होगा। वेतन निर्धारण का अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से करवाने के पश्चात् इस आशय की सूचना विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(8) वर्तमान में प्राप्त वेतनमान के संगत वेतनमान में ही वेतन निर्धारण किया जाएगा। कंडिका–(2) स्थानन के आदेश पूर्ववत् शासन स्तर से ही प्रसारित किये जाएंगे।

(9) दिनांक 01.01.2006 की स्थिति में अवकाश/प्रतिनियुक्ति/निलम्बन होने की स्थिति में वेतन निर्धारण नियमानुसार किया जाएगा।

(10) वेतन नियतन के फलस्वरूप देय एवं शेष राशि का भुगतान वित्त विभाग के इस विषय पर जारी आदेशानुसार किया जाये।

(11) यह सहमति वित्त विभाग की टीप क्रमांक सीआर 773/IV/133 दिनांक 20.9.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

संलग्नः यथोपरि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमशः. . . . . .

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1–4/2010/बयालीस(1) भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर, 2010

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. महामहिम राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
5. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग।
7. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश , भोपाल।
8. समस्त प्राचार्य, शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक/महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय मध्यप्रदेश
9. कुलसचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. . . . . .

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शमीम उद्दीन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमशः. 7

स्थापना
प्राचार्य
02/04/16

590
05/4/16

संचालनालय तकनीकी शिक्षा,मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक / प्रशा / 2 / राज / ए / 2016 / 186 भोपाल, दिनांक 6 / 02 / 2016

प्रति,

समस्त प्राचार्य / प्रभारी
पोलीटेकनिक महाविद्यालय / शासकीय / स्वशासी / महिला,
मध्यप्रदेश

विषयः– पीएच. डी. / एम.टैक. / एम.ई. / एम.फिल. तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियॉ स्वीकृत करने के संबंध में ।

विषयांतर्गत विभिन्न संस्थाओं से मार्गदर्शन मांगे जा रहे है, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि महाविद्यालय में नवनियुक्त व्याख्याता (सेवा भर्ती नियम अध्यापन संवर्ग–2004) जो नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर उच्च अर्हता रखते हैं उन्हें मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ–4 / 2010 / बयालीस (1) दिनांक 19 अक्टूबर 2010 में निहित कंण्डिका 7 में उल्लेखित नियमों के तहत अग्रिम वेतन वृद्धियॉ देय होंगी।

अतः नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल